...ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक5.03.2020

मि.न.99 / 2020

सरकार बनाम श्रवण

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतंली के ख0 न0 414 / 1.20है0 किस्म बंजड में से 1.20 है0 भूमि पर श्रवण पत्नि घोघड जाति कंजर निवासी सा0देह तहसील कोटपूतली ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये। नाही कोई जबाब , दस्तावेज पेश किये गये। अतः आतिक्रमि के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल श्रवण पत्नि घोघड जाति कंजर सा0देह0 तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 414 / 1.20है0किस्म बंजड भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2.40 रू. का पचास गुणा 120 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो. ।

निर्णय आज दिनाक 5.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Scanned by CamScanner